

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 04 अक्टूबर, 2021

आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,  
गाजियाबाद सम्भाग, गाजियाबाद

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० के आदेश संख्या-380 दिनांक 03/09/2021 एवं शुद्धिपत्र संख्या-455 दिनांक 23/09/2021 के साथ संलग्न होकर प्राप्त शासनादेश संख्या-407/11-4-2021-300(19)/2012 दिनांक 31/08/2021 एवं शासनादेश संख्या-467/11-4-2021-300(19)/2012 दिनांक 15/09/2021 द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से दी गयी स्वीकृति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण" के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार मानक मद-24-वृहद् निर्माण कार्य की मद में धनराशि रुपये 3,49,98,000/- (रुपये तीन करोड़ उन्चास लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) का आवंटन किया जाता है। कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये।

आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें तथा आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये। यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये। अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये। उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी०एल०ए०/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या-35 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-: यथोपरि।

( शैलेश गिरि )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू०प०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी **Ghaziabad**
- 2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी०एल०सी०, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3:- ज्वाइन्ट कमिश्नर (सम्पत्ति), वाणिज्य कर, मुख्यालय।

( शैलेश गिरि )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(बजट अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 04 अक्टूबर, 2021

आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,  
गाजियाबाद सम्भाग, गाजियाबाद

कमिश्नर, वाणिज्य कर; 3090 के आदेश संख्या-380 दिनांक 03/09/2021 एवं शुद्धिपत्र संख्या-455 दिनांक 23/09/2021 के साथ संलग्न होकर प्राप्त शासनादेश संख्या-407/11-4-2021-300(19)/2012 दिनांक 31/08/2021 एवं शासनादेश संख्या-467/11-4-2021-300(19)/2012 दिनांक 15/09/2021 द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से दी गयी स्वीकृति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण" के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार मानक मद-24-वृहद् निर्माण कार्य की मद में धनराशि रुपये 3,49,98,000/- (रुपये तीन करोड़ उन्चास लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) का आवंटन किया जाता है। कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये।

आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें तथा आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये। यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये। अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये। उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या-35 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-: यथोपरि।

( शैलेश गिरि )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी Ghaziabad
- 2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3:- ज्वाइन्ट कमिश्नर (सम्पत्ति), वाणिज्य कर, मुख्यालय।

( शैलेश गिरि )

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## Allotment Order Wise Report

Close Window

Print

PDF Generation Instructions

### आयुक्त- वाणिज्य कर

आवंटन आदेश संख्या: 035-B-1-5-BUDGET-2021-2022-/612

आवंटन तिथि: 04/10/2021

कोषागार: 59 - गाजियाबाद

वित्तीय वर्ष: 2021-2022

अधिकारी / जनपद का संख्या: 4752 - सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट)

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 89 - संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

लेखाशीर्षक: 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

03 - जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र मोहन नगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण

आयोजनेत्तर-मतदेय

(धनराशि रुपये में)

कोषागार: गाजियाबाद

मानक मद

पूर्व आवंटन वर्तमान आवंटन प्रगामी आवंटन

24 - वृहत् निर्माण कार्य

0 34998000 34998000

योग :

0 34998000 34998000

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त लेखा